नामांकन की शर्त :

1. 2 फोटो पासपोर्ट साईज (अलग से)।
2. जाति प्रमाण-पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत।
3. आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
4. जिस कोचिंग में प्रवेश लिए हैं, उसके रसीद की छाया प्रति।

छात्रावास की शर्त :

1. विद्यार्थियों को छात्रावास परिसर तथा अपने कमरे को स्वच्छ रखना अनिवार्य है।
2. भवन में खाना बनाना, दीवारों, उपकरणों, फर्नीचर आदि को नुकसान पहुँचाना सख्त वर्जित है। हीटर, इस्त्री आदि जैसे अतिरिक्त विद्युत उपकरण छात्रावास में लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
3. कमरे से बाहर जाते समय सभी लाइट एवं पंखें बंद करना अनिवार्य है।
4. अपने व्यक्तिगत सामान, घड़ी, मोबाइल आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं छात्रा की होगी। विद्यार्थियों को अधिक नकद राशि तथा मूल्यवान वस्तुएँ (जैसे-सोने की अंगूठी, बालियाँ आदि) अपने पास रखने से बचना चाहिए। यदि लॉकर उपलब्ध कराया गया हो तो उसे अच्छे ताले से सुरक्षित रखना होगा। किसी भी प्रकार की हानि के लिए छात्रावास प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगी।
5. छात्रावास में विद्यार्थियों को शालीन एवं उपयुक्त वस्त्र पहनना अनिवार्य है।
6. किसी भी स्थिति में माता-पिता अथवा अभिभावकों के आगंतुकों को छात्रा के कमरे में ठहरने की अनुमति नहीं होगी एवं मिलने के लिए (बैठक रूम) निर्धारित स्थान पर मिलना होगा।
7. छात्रावास का किराया निर्धारित समय के भीतर जमा करना अनिवार्य है। किसी प्रकार की समस्या होने पर छात्रावास प्रभारी को सूचित कर भुगतान की उचित तिथि बतानी होगी तथा विलम्ब होने पर विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना होगा।
8. छात्रावास परिसर से बाहर जाने एवं आने का ऑफिस के रजिस्टर पर हस्ताक्षर (समय तथा दिनांक) करना अनिवार्य है।
9. साहु समाज की कमिटी का निर्णय मानना अनिवार्य है।
10. किसी भी प्रकार का कठिनाई होने पर लिखित रूप से कार्यालय को बताना होगा, आपस में झगड़ा-लड़ाई नहीं करना है।
11. किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं मानने पर बिहार तैलिक साहु सभा कमिटी समय से पूर्व भी छात्रावास खाली कराने का अधिकार रखता है।

उपरोक्त सारी बातों को पढ़ एवं समझ कर हस्ताक्षर किया।

दिनांक

आवेदिका का हस्ताक्षर